



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

पी०एम०जी०एस०वाई, सि०ख०, पुरोला (उत्तरकाशी)

Office of the Executive Engineer PMGSY, I.D. Purola (Uttarkashi)

E-Mail : eepmgypurola@rediffmail.com

Tel.No. : 01373-223730

पत्रांक- 67/ पी०एम०जी०एस०वाई० / सि०ख० /

दिनांक 24/02/2018

सेवामें,

प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग,
बड़कोट (उत्तरकाशी)।

विषय:-

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव अन्तर्गत पी०एम०जी०एस०वाई० फेज-7 के अन्तर्गत खरादी से स्यालना, मन्साड़ी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.64 है० वन भूमि गैर वानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन स्वीकृति का प्रस्ताव।

सन्दर्भ:-

EDS दिनांक 10.01.2018 एवं आपका पत्रांक सं० 2184/12-1 दिनांक, बड़कोट, 23.02.2018।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून के माध्यम से भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव सं० FP/UK/Road/9709/2015 में लगायी गयी ई०डी०एस० क्वेरी में बिन्दु सं० 02 एवं 04 पार्ट-II की है, जोकि आपके स्तर से निराकरण किया जाना है बिन्दुसंख्या 05 में Part-IV & V की मांग की गयी है जो कि अन्य उच्च स्तरों द्वारा उपलब्ध करवाया जाना है। एवं शेष अन्य बिन्दु पार्ट-I में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण बिन्दुवार निम्नानुसार है-

आपत्ति	निराकरण
1. In reply to point No.7, details of employment likely to be generated during the construction of project given at para-E Part-I online still appear to be incorrect.	Para-E Part-I में रोजगार का विवरण संशोधित कर ऑनलाईन किया जा चुका है।
2. In reply to point No. 13, revised digital map &KML file of CA area has now been uploaded but patch wise detail is not provided at para-13,Part-II, which may be done.	यह आपत्ति (Para-13 Part-II) भाग-2 स्तर की है जिसका निराकरण डी०एफ०ओ० द्वारा किया जाना है।
3. In reply to point No.15, it is mentioned that muck generated during te construction of the road will be disposed off in Nap Land, but the same in not filled up in component wise breakup at para B2.4 Part-I online.	Para-B-2.4 Part-I के component wise breakup में मलावा निस्तारण सम्बन्धित प्रविष्टि पार्ट-1 में ऑनलाईन कर दी गयी है।
4. In reply to point No.18,CA stipulated is still not commensurate with the forest land diverted.	यह आपत्ति पार्ट-2 से सम्बन्धित है तथा इस का निराकरण डी०एफ०ओ० स्तर द्वारा किया जाना है।
5. Original hard copy of the geo-referenced digital map of the area proposed for diversion, geo-referenced digital map of the area proposed for CA, FRA certificate alongwith all annexures and Part-IV & V is not received in this office, which may be submitted now.	समस्त प्रकार के डीजिटल/जियोरिफरेंस मानचित्र तथा एफ०आर०ए० के प्रपत्र पूर्व में आपको मूल रूप में उपलब्ध कराये जा चुके हैं तथा पार्ट-4, पार्ट-5 जो कि नोडल व राज्य सरकार स्तर से उपलब्ध किये जाने हैं जिसका निराकरण भी इन्हीं स्तर द्वारा किया जाना है किन्तु फिर भी समस्त अभिलेखों की प्रति इस पत्र के माध्यम से आपको पुनः संलग्न कर आपके सुलभ सन्दर्भ हेतु उपलब्ध कराये जा रहे हैं। संलग्न पत्र संख्या - 22/पी०एम०जी०एस०वाई०/सि०ख०/दिनांक-8/02/18]

अतः उपरोक्तानुसार इंगित बिंदुवार निराकरण ऑनलाइन अपलोड कर दिये गये हैं एवं आपसे अनुरोध है कि Part-II में लगायी गयी आपत्ति का निराकरण अपने स्तर से करते हुये उक्त प्रस्ताव को जनहित में अग्रिम स्वीकृति हेतु प्रेषित करें।

संलग्नक - उपरोक्तानुसार।

Ankita
अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सि०ख०
पुरोला (उत्तरकाशी)